सं. ए-42011/01/2023-समन्वय

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

समन्वय प्रभाग

***

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक: 21 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रिमंडल के लिए जनवरी, 2024 माह प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर अवर्गीकृत मासिक सारांश की एक प्रति जनवरी, **2024** के माह के लिए अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

संलग्नक: यथोपरोक्त

हरि मोहन झा
21/02/2024

(हरि मोहन झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2306 1047

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।

संलग्नकों सहित अग्रेषित प्रति:

1. भारत सरकार के सभी सचिव।
2. आईटी सेल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के जनवरी, 2024 के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/कार्यक्रमों का विवरण

I स्वच्छ भारत मिशन

i. अब तक 4,885 यूएलबी को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है, 4,576 शहरों को ओडीएफ प्रमाणित किया गया है, 3,913 शहरों को ओडीएफ+, 1,429 शहरों को ओडीएफ++ और 64 शहरों को जल+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालय गूगल मेप पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से लाइव हैं।

iii. नागरिकों को उनकी शिकायतों को संबंधित नगर निगम द्वारा निपटान करने में सक्षम बनाने के लिए स्वच्छता ऐप एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। स्वच्छता ऐप में कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें पोस्ट की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है, इन शिकायतों के निपटान का प्रतिशत 94% से अधिक है।

iv. जीएफसी 2023 का परिणाम 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह के भाग के रूप में घोषित किया गया था. कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 3 है (पिछले वर्ष 1 की तुलना में), 5-स्टार प्रमाणन 15 है, 3-स्टार प्रमाणन 229 है और 1-स्टार प्रमाणन 426 है।

v. **स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार समारोह**

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। 13 पुरस्कार विजेताओं को स्वच्छ शहर, स्वच्छतम छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के तहत पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार के रूप में दो शहरों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इंदौर जिसने लगातार 6 वर्षों तक लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया था के साथ बंदरगाह शहर सूरत ने शीर्ष सम्मान हासिल किया। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, सासवड, पाटन और लोनावाला ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए। मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष दो पुरस्कार जीते। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में शीर्ष तीन पुरस्कार जीते। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाईमित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला समारोह में 110 पुरस्कार प्रदान किये गये।

माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन के 9 वर्षों की उपलब्धियां और स्वच्छता की भावना को प्रदर्शित करते हुए दृश्य -श्रव्य प्रस्तुति के माध्यम से एक तारीख, एक घंटा, एक साथ अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन गान- 2024 जारी किया गया। प्लेबेक सिंगर कैलाश खेर ने 'न्याय संकल्प है,न्याय प्रकल्प है,के गाने को अपनी आवाज दी।

नवीनतम प्रोद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन में उपकरणों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी ने आगंतुकों का ध्यान खींचा।

II. स्मार्ट सिटी मिशन

1,70,733 करोड़ रु. की 8,020 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,32,935 करोड़ की 6,695 परियोजनाएं (कुल परियोजनाओं का 83%) पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

- जनवरी 2024 माह के दौरान 736 करोड़ रुपये की 68 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
- **प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति**

सेक्टर	पूर्ण		कार्य प्रगति पर है	
	परियोजनाएं	लागत (करोड़ रु.)	परियोजनाएं	लागत (करोड़ रु.)
आईसीसीसी	100	11,775	-	-
स्मार्ट मोबिलिटी	1,353	30,639	316	8,993
स्मार्ट ऊर्जा	626	13,439	59	1,177
डब्ल्यूएएसएच	1,302	42,275	219	9,352
पीपीपी	188	8,852	18	1,889
जीवंत सार्वजनिक स्थल	1,180	8,387	190	3,886
आर्थिक अवसंरचना	726	9,304	207	4,073
सामाजिक अवसंरचना	747	10,208	122	2,542
स्मार्ट गवर्नेंस	576	14,811	107	2,653

• <u>माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू में सिटी ई-बस परियोजना का उद्घाटन</u>

माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया। पैन सिटी ई-बस परियोजना सार्वजनिक परिवहन को बदल सकती है, लोगों के लिए प्रगति, विकास और अवसर ला सकती है। ई-बसें सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता, आराम और सामर्थ्य को महत्वपूर्ण

रूप से बढ़ाएंगी, जिसमें पैनिक बटन जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ शामिल होंगी।

• 31वें कन्वर्जेंस इंडिया और 9वें स्मार्ट सिटीज़ एक्सपो, प्रगति मैदान में राष्ट्रीय मंडप (17-19 जनवरी 2024)

राष्ट्रीय मंडप में 10 शहरों की 12 दिलचस्प परियोजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिनमें इंदौर स्मार्ट सिटी की छप्पन दुकान, सूरत स्मार्ट सिटी के अतीत को भविष्य से जोड़ना, उदयपुर स्मार्ट सिटी का क्षेत्र-आधारित विकास और प्रयागराज स्मार्ट सिटी की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण शामिल है। मिशन में विभिन्न क्षेत्रों के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की एक वर्चुअल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई, जो मिशन की समग्र उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

19 जनवरी 2024 को स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड्स भी आयोजित किए गए थे, जिसमें उन परियोजनाओं को मान्यता दी गई थी, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करके हमारे शहरों को रहने योग्य, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर प्रभाव डाला है।

• तुमकुरु स्मार्ट सिटी ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

हरित भविष्य के लिए एकजुट होकर, तुमकुरु स्मार्ट सिटी, कॉर्पोरेशन और उसके सहयोगियों की समर्पित टीम ने प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करके सबसे बड़ा शब्द बनाकर प्लास्टिक कचरे से निपटने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी स्मारकीय कलाकृति ने न केवल गिनीज विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि परिवर्तन को प्रेरित किया और कम करने, पुन: उपयोग करने और पुनर्चक्रण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई।

• 'नवाबों के शहर'-लखनऊ को बदलना

'नवाबों के शहर' को स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रयास जोरों पर हैं, लखनऊ में कई उन्नयन और परिवर्धन चल रहे हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी ने स्कूली छात्रों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए 'मिशन भरोसा' शुरू किया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और शहर के स्कूलों के सहयोग से, इस पहल में स्कूल वाहनों और उनके ड्राइवरों की एक व्यापक सूची बनाना शामिल है। इस सूची का सत्यापन किया जाएगा और ड्राइवरों को डिजिटल

आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। परियोजना के तहत, 60 लाख की लागत से राज्य की राजधानी की सभी स्कूल बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। स्कूली वाहनों में लगी डिवाइस को स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। यहां से उन पर नजर रखी जाएगी और उनके बारे में जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी. एप के जरिए अभिभावक यह जान सकेंगे कि वाहन कौन चला रहा है, कितनी स्पीड से चला रहा है और बस किस जिले में पंजीकृत है। वे यह भी जान सकते हैं कि वाहन की उम्र, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है और वह किस समय कहां जा रहा है।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. 83,191 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है जो 77,640 करोड़ रुपये की अनुमोदित कार्य योजना से अधिक है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अतिरिक्त राशि राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जाएगी। कुल मिलाकर पूर्ण/चालू अमृत परियोजनाओं में से लगभग 75,724 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य पूरा किया जा चुका है। 5,901 परियोजनाओं में से, 5,195 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 706 परियोजनाएं चल रही हैं।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई), सुधार प्रोत्साहन और अमृत शहरों में 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान के निर्माण' पर उप-योजनाओं और '25 चयनित शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और टाउन प्लानिंग योजनाओं (टीपीएस) के तहत 40,775 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,63,227 करोड़ रूपये (ओ एंड एम सहित) की लागत वाली 7,098 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। 1,12,648 करोड़ रुपये की 5,198 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं, 1,03,600 करोड़ रुपये की 4,986 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी जा चुकी है, 86,644 करोड़ रुपये की 4,161 परियोजनाओं के लिए एनआईटी जारी की गई है, 41,110 करोड़ रुपये की 2,477 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है और 508 करोड़ रुपये की 347 परियोजनाएं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

iv. अब तक, अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 7,347 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । कुल मिलाकर, अमृत 2.0 के विभिन्न घटकों जैसे परियोजनाओं और ए एंड ओइ के तहत 7,879 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के जनवरी, 2024 माह के दौरान एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत 9,283 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया; 46 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया; 9,878 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण सहायता प्रदान की गई और एसएचजी को 17,557 ऋण दिए गए ।

V. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि) के तहत, 1,02,44,733 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए 83,65,733 स्वीकृतियां और 79,15,834 संवितरण प्रदान किये गए।

ii. जनवरी, 2024 के दौरान मिशन के तहत कुल 16.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

VI. प्रदान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. स्थापना के बाद से, मिशन ने 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 114.01 लाख आवास निर्माणाधीन है, जिनमें से 80.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/सुपुर्द किए जा चुके हैं।

ii. जनवरी, 2024 के दौरान पीएमएवाई (यू) के तहत, 1,780.49 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

VII. आवास

रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चला रहे नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है

-32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा प्राधिकरणों (नियमित - 27, अंतरिम - 05) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को अभी भू-संपदा नियामक प्राधिकरण की स्थापना करनी है।

-28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय,

मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अभी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी है।

- 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत् अपनी वेबसाइटें चालू कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अभी इन्हें शुरू किया जाना बाकी है।

-26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने निर्णयक अधिकारी नियुक्त किए हैं। 10 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख ने अभी तक निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है।

-देश भर में 1,21,265 भू-संपदा परियोजनाएं और 86,027 भू-संपदा एजेंटों ने रेरा के तहत् पंजीकरण कराया है।

-देश भर में भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,19,246 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के तहत हुई प्रगति (01.01.2024 तक)

- जनवरी, 2024 में 1308 भू-संपदा परियोजनाएं रेरा के तहत पंजीकृत की गईं।
- जनवरी, 2024 में 1036 भू-संपदा एजेंटों को रेरा के तहत् पंजीकृत किया गया है।
- जनवरी, 2024 के महीने में देश भर के विभिन्न भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 992 शिकायतों का निपटारा किया गया है।

<u>मॉडल किरायेदारी अधिनियम</u>

जनगणना-2011 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.1 करोड़ घर खाली पड़े थे क्योंकि मकान मालिक अपने परिसर को किराए पर देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर, 2012 में शहरी आवास की कमी पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानतः 187.8 लाख शहरी घरों की कमी है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा किराये कानून परिसर को किराए पर देने से रोकते हैं और इसमें लंबे कानूनी प्रावधान हैं। परिसर को किराये पर देने को बढ़ावा देने और शीघ्र विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम तैयार किया है।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम का लक्ष्य मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से संतुलित करना है और एक त्वरित विवाद समाधान तंत्र निर्धारित करना है। मॉडल किरायेदारी अधिनियम से खाली परिसर किराए के लिए खुल पाएंगे और एक जीवंत एंव टिकाऊ किरायेदारी बाजार तैयार होगा।

2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, मॉडल किरायेदारी अधिनियम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझा किया गया है, ताकि नए कानून बनाकर या मॉडल किरायेदारी अधिनियम की तर्ज पर मौजूदा किराये कानून में उपयुक्त संशोधन करके इसे अपनाया जा सके। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम के पूर्ववर्ती मसौदे के आधार पर किरायेदारी अधिनियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने किरायेदारी कानूनों को मॉडल किरायेदारी अधिनियम के नवीनतम संस्करण के अनुरूप बनाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मॉडल किरायेदारी अधिनियम के नवीनतम संस्करण की तर्ज पर असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 को असम राज्य में अधिनियमित किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर, 2023 को (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियम, 2023, (ii) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियम, 2023 और (iii) लक्षद्वीप किरायेदारी विनियम, 2023 को भी मंजूरी दे दी है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निरंतर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संपर्क बनाए हुए है, ताकि पूरे देश में मॉडल किरायेदारी अधिनियम शीघ्र-अति-शीघ्र अपनाया जा सके।